रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-02092023-248515
SG-DL-E-02092023-248515

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2023/भाद्र 10, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 211
No. 272]	DELHI FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2023/BHADRA 10, 1945	[N. C. T. D. No. 211

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना प्राद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 अगस्त, 2023

फा. सं. 6(530)/सू.प्रौ./2022/5727.—दिल्ली, (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) अधिनियम, 2011 (2011 का दिल्ली अधिनियम 07) की धारा 11 की उपधारा–(2) के साथ पठित धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर सरकार की दिनांक 21 फरवरी, 2012 की अधिसूचना संख्या फाइल 6(100)/सू.प्रौ./2011/1314–1323 के अनुक्रम में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात्–

1. दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) अधिनियम, 2011 (2011 का दिल्ली अधिनियम 07) में, प्रविष्टि 565 के पश्चात, नागरिक संबंधित सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित अधिकारियों को सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उनके संबंधित विभागों हेतु, निम्नलिखित प्रविष्टि निम्नानुसार जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

क्र.सं.	सेवा का नाम	धारा 9 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी	धारा 11 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी	विभाग / संगठन
566	गरीब विधवाओं की बेटियों तथा अनाथ लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता।	संबंधित जिले का जिलाधिकारी	निदेशक	महिला एवं बाल विकास विभाग

2. दिल्ली (समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार) अधिनियम, 2011 (2011 का दिल्ली अधिनियम 07) में, नागरिक संबंधित सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ हटा दी जाएगी; अर्थात् :–

क्र.सं.	सेवा का नाम	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी	विभाग / संगठन
334	गरीब विधवाओं को उनकी बेटियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता की स्वीकृति।	संबंधित जिले का जिलाधिकारी	निदेशक	महिला एवं बाल विकास विभाग
335	अनाथ लड़कियों को उनके विवाह हेतु वित्तीय सहायता की स्वीकृति।	संबंधित जिले का जिलाधिकारी	निदेशक	महिला एवं बाल विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविन्दर कुमार सैनी, उप–सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी)

टीप : मूल राजपत्र अधिसूचना दिनांक 21 फरवरी 2012 को फा. सं. 6(100) / सू0प्रौ0 / 2011 / 1314–1323 के द्वारा प्रकाशित हुई तथा इसे तत्पश्चात निम्नलिखित राजपत्र अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किया गया।

1. दिनांक 13 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना फा.सं. 6(100) / सू0प्रौ0 / 2011 / 5987–6000
2. दिनांक 14 अगस्त, 2014 की अधिसूचना फा.सं. 6(100) / सू0प्रौ0 / 2014 / 7361–7395
3. दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना फा.सं. 6(524) / सू0प्रौ0 / 2020 / 4047
4. दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना फा.सं. 6(524) / सू0प्रौ0 / 2020 / खंड–I / 4929
5. दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना फा.सं. 6(524) / सू0प्रौ0 / 2021 / खंड–IV / 5042
6. दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना फा.सं. 6(100) / सू0प्रौ0 / 2020 / खंड– IV / 5123
7. दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना फा.सं. 6(100) / सू0प्रौ0 / 2020 / खंड– IV / 5125
8. दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना फा.सं 6(100) / सू0प्रौ0 / 2020 / खंड– IV / 5126

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th August, 2023

No. F. 6(530)/I.T./2022/5727.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9, read with sub-section (2) of Section 11 of The Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 (Delhi Act 07 of 2011) and in continuation of this Government's Notification No. F.6(100)/IT/2011/1314-1323 dated 21st February, 2012 on the subject, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby amends the schedule appended to the aforesaid Act, as under, namely:-

1. In The Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 (Delhi Act 07 of 2011), after entry 565, the following entries related to Citizen related Services shall be added for appointing the following Officers, as Competent Officer and Appellate Authority, as the case may be, for the purpose of this Act, for their respective Departments, as under, namely:-

Sl.No.	Name of Service	Competent Officer Under Section 9	Appellate Authority Under Section 11	Department/Organization
566	Financial Assistance for the Marriage of Daughters of Poor Widows and Orphan Girls	District Officer of Concerned District	Director	Department of Women & Child Development

2. In The Delhi (Right of Citizen to Time Bound Delivery of Services) Act, 2011 (Delhi Act 07 of 2011), the following entries relating to Citizen related Services shall be deleted, namely: -

S.No.	Name of Service	Competent Officer	Appellate Authority	Department/Organization
334	Sanction of Financial Assistance to Poor Widows for the Marriage of their Daughters.	District Officer of Concerned District	Director	Women & Child Development
335	Sanction of Financial Assistance for Orphan Girls for performing their marriage.	District Officer of Concerned District	Director	Women & Child Development

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR SAINI, Dy. Secy. (IT)

Note: The Principal Gazette Notification was published vide No. F.6(100)/IT/2011/1314-1323 dated the 21st February, 2012 and the same was subsequently amended vide following Gazette Notifications:

1. No. F.6(100)/IT/2011/5987-6000 dated 13th December, 2012.
2. No. F.6(100)/IT/2014/7361-7395 dated 14th August, 2014.
3. No. F.6(524)/IT/2020/4047 dated 04 October, 2021.
4. No. F.6(524)/IT/2020/Vol.-I/4929 dated 22nd December, 2021.
5. No. F.6(524)/IT/2021/Vol.-IV/5042 dated 27th December, 2021.
6. No. F.6(100)/IT/2020/Vol.-IV/5123 dated 30th December, 2021.
7. No. F.6(100)/IT/2020/Vol.-IV/5125 dated 30th December, 2021.
8. No. F.6(100)/IT/2020/Vol.-IV/5126 dated 30th December, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.09.02 16:53:27 +05'30'